




62

आमुन्दर लोगों का प्रयोग
जैसार से १५२९-१५३० त्याल्य श्री मान राजस्व बौद्ध चवालियर केम्प सागर (मध्य)

23 अगस्त

B.O.R.

25 SEP 2014



कांडा लोगों का प्रयोग
जैसार से १५२९-१५३० त्याल्य श्री मान राजस्व बौद्ध चवालियर केम्प सागर (मध्य)

115
26-9-14

1-10-14

C.A.P.
C.A.P.

C.A.P.

न्यायाल्य श्री मान राजस्व बौद्ध चवालियर केम्प सागर (मध्य)

R - 3422-15114

१- विजय कुमार गुप्ता वायु ५० वर्ष { दोनों बातेम्ब

२- हरि नारायण गुप्ता वायु वर्ष { दोनों बातेम्ब

स्व० श्री मुन्नालाल गुप्ता, दोनों निवासी

सदर बाजार, सागर (मध्य) = = आवेदकगण ।

स्त्रीजन कर्त्तर्गण

॥ बताम ॥

बमित केशखानी बत्त्व हरि और विजय केशखानी

निवासी सदर बाजार, सागर (मध्य) = = आवेदक । प्रति-
पुनरीक्षण करा

पुनरीक्षण आवेदन पर अन्तर्गत धारा ५० मध्यमूर २०००

न्यायाल्य श्री मान तहसीलदार सागर छारा राजस्व
प्रकरण क्रमांक २४-वा ७० वर्ष १२-१३ नाम पदाकार बमित
केशखानी - बनाम - विजय कुमार व बन्ध मे पारित आदेश दिनांक
२१.०१.१४ से व्यक्ति होकर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत है -

संक्षिप्त तथ्य एवं बाधार

१- यहकि, बमित केशखानी मे तहसीलदार के समका ग्राम
बहौरिया साही के खंभ० १७।३ रेखा २-०२ ह० पर विजय
कुमार वर्ग०१२ से कवजा दिलाये जाने वावत् आवेदन पेश किया था,
जिसका नोटिस प्राप्त होने पर विजय कुमार व बन्ध की ओर
से न्यायाल्य के समका पेश हुए ।

२- यहांक, वास्तविक मालिक काहिवज वावश्वत भूमि का
विजय कुमार एवं बन्ध उसके परिवार के सदस्य हैं बिन्दु दर्शि ।
राज कुमार व श्री कांत केशखानी ने "फाजी" रूप से "फाजी" बादमी
खड़ा करके एवं मात्र व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके

-२-

राजस्व मण्डल म0प्र0 खालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3422-तीन/14

जिला- सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ वक आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	<p>आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अतः वह लगभग 10 पेशियों से अनुपस्थित होने के कारण तथा प्रकरण में रुचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>  <p>सदस्य</p> <p>✓</p>	